न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद
प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्याः 2645/2022
ब्रजेश कुमार **बनाम** राशिद नसीम आदि

दिनॉक:27.07.2022

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता का निस्तारण

आवेदक ब्रजेश कुमार द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दण्ड प्रकिया संहिता प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि आवेदक को अखबार के माध्यम से साइन सिटी इन्फ्रा प्रा0लि0 के बारे में जानकारी मिली आवेदक ने विपक्षीगण से मुलाकात किया तो विपक्षीगण ने लालच व प्रलोभन दिया तथा विश्वास में लेकर प्लाट बुक करवाने हेतु एक लाख 42 हजार 500रूपये जमा करवाया उसकी रसीद आवेदक को दिया। तथा कुछ दिन बाद कम्पनी के एक प्लान में दो लाख पचास हजार रूपये जमा किया। इस प्रकार आवेदक ने उक्त कम्पनी में 10 लपख 22 हजार 500 रूपये जमा किया। बाद में पता चला कि उक्त कम्पनी भाग गयी। आवेदक द्वारा निवेशित पूंजी उक्त कम्पनी द्वारा हड़प लिया और मॉगे जाने पर वापस नही की गयी। उक्त आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की याचना की गयी है।

सुना एंव पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण द्वारा आवेदक को प्रवंचित कर धन प्राप्त करवाये जाने के आशय से छल कारित किया जाना अभिकथित किया गया है। शपथपत्र के साथ संलग्न भुगतान रसीद की प्रतियों से धन भुगतान किये जाने का तथ्य भी स्पष्ट होता है। उक्त परिस्थितियों में विपक्षीगण द्वारा आवेदक के प्रति प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किया जाना अभिव्यक्त होता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। प्रभारी निरीक्षक, थाना सिविल लाइंस को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना करना सुनिश्चित करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इलाहाबाद।